कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

मानचित्र पत्रावली नि0फै0स0 **42 / 18–19 मैसर्स फैशन सुटिंग्स प्रा.लि.** जरिये श्री तिलोक चन्द छाबड़ा निदेशक, भवन मानचित्र स्वीकृत स्थल गू.सं. 01 से 04 तक सुजुकी इन्कलेव चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा का निम्नांकित शर्तों के आधार पर मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबन्धों के अनुसार करना होगा एवं स्वीकृत मानचित्र को मौके पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करना होगा।
2. अग्निशमन सुविधा हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार समस्त प्रावधान किये जाने होंगे तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनाप्रति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
3. भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की जन–धन हानि के लिये प्रार्थी / निर्माण कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. सड़क मार्गाधिकार हेतु मूल भूखण्ड में से परिषद को निःशुल्क समर्पित की गई भूमि का आवेदक व उनके वारिसान द्वारा किसी भी प्रकार के मुआवजे की माँग नहीं कर सकेंगे।
5. मौके पर स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण करवाना होगा तथा प्रस्तावित मानचित्र में जिस स्थान को पार्किंग / सेटबेक के उपयोग हेतु दर्शाया गया है वह भाग किसी को नहीं बेचेंगे इसे केवल पार्किंग / सेटबेक हेतु उपयोग में लिया जायेगा, इसका पार्किंग / सेटबेक के अलावा उपयोग पाया जाने पर नगर परिषद भीलवाड़ा बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ने की हकदार होगी एवं हर्जा खर्जा आवेदक से वसूल किया जायेगा। मौके पर सार्वजनिक पार्किंग हेतु बोर्ड भी लगाना होगा।
6. ट्रांसफार्मर हेतु स्थान स्वयं की भूमि पर आर.एस.ई.बी. के प्रावधानों के अनुसार लगवाना होगा।
7. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974 एवं वायु संरक्षण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के नियमानुसार पालना करनी होगी।
8. भवन संरचना / डिजाईन भूकम्प रोधी होना आवश्यक है। सम्पूर्ण भवन का निर्माण वास्तुविद / सिविल इंजिनियर के पर्यवेक्षण में करवाया जाना होगा। भवन के स्ट्रक्चर डिजाईन की जिम्मेदारी सम्बन्धित वास्तुविद / सिविल इंजिनियर / स्ट्रक्चर इंजिनियर की होगी।
9. सोलिड वेस्ट निस्तारण के लिये एकीकृत भवन विनियम 2017 (संशोधित) के प्रावधान अनुसार समस्त प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
10. भवन का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 (संशोधित) के प्रावधान अनुसार सौर ऊर्जा के प्रावधान करने होंगे तथा अन्य समस्त प्रावधान / मानदण्ड भी उक्त विधियों के अनुसार रखे जाने होंगे।

12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा किसी सारवान तथ्य को छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जायेगा।
13. राज्य सरकार द्वारा भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण संरचना हेतु भूखण्ड के क्षेत्र अनुसार निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
14. ऑडिट में किसी प्रकार की कोई राशि आक्षेपित की जाती है तो जमा कराना अनिवार्य होगा।
15. स्वीकृत मानचित्र में बी.ए.आर. में गणना योग्य क्षैत्रफल के अनुसार पार्किंग की सुनिश्चितता की जावे। बेसमेन्ट में पार्किंग उसी स्थिति में अनुज्ञेय है। यह भी सुनिश्चितता की जावे कि वाहनों को बेसमेन्ट में प्रवेश करने एवं निकलने के लिए उचित रेम्प का ग्रेडियेन्ट एवं पर्याप्त चौडाई का प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। बेसमेन्ट में पार्किंग प्रदान किये जाने की स्थिति में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जानी होगी तथा वर्षा का जल बेसमेन्ट में नहीं भरने पाये इसकी सुनिश्चितता की जावे।
16. भवन में राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार लिफ्ट, सीढीया संगतन एवं रोशनी के समस्त प्रावधान किये जाने होंगे।
17. भवन में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा IIT/NIT/अभियान्त्रिकी महाविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा विनियम 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकि विज्ञ से प्रमाणित करवा कर आवश्यक रूप से नगर परिषद भीलवाड़ा से प्रस्तुत की जानी होगी।
18. भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि तथा भवन की स्ट्रक्चर डिजाईन से सम्बन्धित मानचित्र के दो सेट जो कि आवेदक, आर्किटेक्ट एवं इंजिनियर से प्रमाणित किये हों, भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व नगर परिषद भीलवाड़ा को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
19. एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना होगा।
20. भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान रखे जाने एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की अनुपालना की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता / विकासकर्ता की होगी।
21. उक्त निर्माण स्वीकृति किसी भी प्रकार मे स्वामित्व का दस्तावेज नही माना जाएगा।
22. भवन निर्माण के दौरान श्रमिको हेतु तय मानको के अनुसार पर्याप्त मात्रा मे शौचालय का निर्माण करना होगा।

(हस्ताक्षर) 22.9.18
सहायक नगर नियोजक,
नगर परिषद, भीलवाड़ा

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
नगर परिषद, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

इजाजत पत्रावली सं. नि.फै. 42/18-19

दिनांक 22/09/2018

निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ मकान निर्माण करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(A) निर्माण कार्य भीलवाड़ा नगर परिषद (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 20 में दर्शित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अनुसार तथा परिषद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण उप नियमों के अनुसार एवं स्वयं की वैधानिक अधिकारी की पट्टा/अनुज्ञा-पत्र शुदा भूमि पर ही किया जायेगा ।

(B) नियमानुसार सैट बेक की भूमि खुली रखी जावेगी। सेट बेक की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण किया गया तो बिना पूर्व सूचना के हटा दिया जावेगा तथा हर्जा खर्चा आवेदक से वसूल किया जावेगा।

(C) फ्लश तहारत का टैंक अपनी स्वयं की भूमि में बनाया जावेगा।

(D) परनालो पर सीमेन्ट-पाईप लगाकर पानी उतारना होगा।

(E) यह स्वीकृति Subject to Civil Right होगी ।

(F) स्वीकृत मानचित्र की मियाद जारी होने की दिनांक से सात वर्ष होगी।

(G) मानचित्र में जो भाग काट दिया गया है, उस भाग पर निर्माण नही किया जायेगा ।

(H) रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण (टेंशा) की फीस जमा कराये नही निकाला जावे एवं बाहरी हक्क निकासी,छज्जा,टोडी,चबुतरी/झुलमा चबुतरी एवं सिढियां आदि नहीं बनाये ।

(I) सड़क/गली खुली छोड़ते हुए परिषद की 15x10 फीट भुमि पर केवल दो माह के लिए मलवा डाल सकेंगे ।

2 निम्न स्थितियो में स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी:-

(A) यदि राजकीय/नगर परिषद/दूसरे की भूमि सम्मिलित कर नक्शा बनाया गया है ।

(B) यदि कृषि भूमि होगी ।

(C) कोई खालसा भूमि सम्मलित होगी ।

(D) निर्माण यदि इस भुखण्ड/मकान के संबंध में किसी कार्यालय में जांच चल रही होगी ।

(E) यदि भुखण्ड/मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ हो ।

(F) प्रार्थी के वैधानिक अधिकार की भूमि/मकान नही होकर किसी अन्य की भूमि/मकान होगी ।

(G) आवासीय भूखण्ड पर व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ निर्माण बिना भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराये किया गया हो।

(H) यदि स्वीकृति गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त की हो ।

(I) भविष्य में ऑडिट द्वारा कोई राशि निकाली जाती है तो जमा कराना अनिवार्य होगा ।

(हस्ताक्षर) 22.9.18
सहायक नगर नियोजक

(हस्ताक्षर)
आयुक्त

नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)